

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 6/11/2023

रीडर/2023/1234

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 शेराराम 2 हरखाराम
पिसरान शिवजीराम जाति
जाट निवासी लोल्टीहाइट
बड़ा, उण्डखा तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 आदूराम पुत्र आम्बाराम 2 कुंभाराम पुत्र बगताराम 3 केसाराम
पुत्र साजनराम 4 किरतुराराम पु. पेमाराम 5 गंगा पुत्र खुमा 6
गजरोदेवी पत्नी आम्बाराम 7 गुणेशाराम पुत्र आम्बाराम 8 छोलाराम
पुत्र बगताराम 9 जगराम पुत्र गुलाराम 10 डालुराम पुत्र साजनराम
11 पेमाराम पुत्र पुनमाराम 12 मंगलाराम पुत्र पेमाराम 13 रूगाराम
पुत्र बगताराम 14 रेवाराम पुत्र साजनराम 15 लाछीदेवी पत्नी
पेमाराम 16 बालाराम 17 वीरमाराम पिसरान पेमाराम 18 वीरमाराम
पुत्र आम्बाराम 19 हरचन्द्रराम पुत्र पेमाराम 20 दल्लाराम पुत्र
भूराराम 21 कृष्णकुमार पुत्र खेराजराम 22 खीयाराम पुत्र चुतराराम
23 गंगाराम पुत्र कौशलाराम 24 चैनाराम पुत्र मेहाराम 25 चैनी 26
चोलाराम पिसरान केसराराम 27 जेठाराम पुत्र मेहाराम 28
नारणाराम पुत्र केसराराम 29 पुरणाराम पुत्र कोशलाराम 30
बादलराम पुत्र चुतराराम 31 लुम्बाराम पुत्र कोशलाराम 32
लालाराम पुत्र केसराराम 33 सवाईराम पुत्र खेराजराम 34 सिगरती
पत्नी केसराराम 35 हनुमानराम पुत्र केसराराम 36 पुराराम पुत्र
भगराम 37 ओमप्रकाश चौधरी पुत्र सवाईराम जाति जाट निवासी
लोल्टीहाइट बड़ा उण्डखा 38 उम्मेदसिंह पुत्र सुरतानसिंह 39
खेतसिंह पुत्र लखसिंह 40 जोगराजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 41
जुंजारसिंह पुत्र लखसिंह 42 तुलसीदेवी पत्नी अगरसिंह 43
पदमसिंह पुत्र अगरसिंह 44 पदमसिंह पुत्र हमीरसिंह 45 पवनकंवर
पत्नी सुरतानसिंह 46 बेरीसालसिंह पुत्र अगरसिंह 47 भेरसिंह पुत्र
हमीरसिंह 48 सगतसिंह पुत्र अगरसिंह 49 सिरिकंवर पत्नी लखसिंह
50 गोविन्दसिंह 51 देवीसिंह पिसरान हुकमसिंह 52 पदमसिंह पुत्र
हेमसिंह 53 भूरसिंह 54 रायसिंह पिसरान हुकमसिंह जाति राजपूत
निवासी धानपुरा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 78/2023

दिनांक- 31/11/23

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा लोल्टीहाइट पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 697/523 रकबा 32.0511 हैक्टेयर, खसरा संख्या 722/543 रकबा 4.3544
हैक्टेयर, खसरा संख्या 727/523 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 731/523 रकबा 0.
0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 732/523 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल रकबा 37.1744 हैक्टेयर भूमि
के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण
को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 6/11/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1235-38

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेराकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मथ रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करें।
3. शेराराम पुत्र शिवजीराम वगैराह जाति जाट निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आदूराम पुत्र आम्बाराम वगैराह जाति जाट निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर